

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,  
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005  
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687  
वेबसाईट :- pension.raj.nic.in


क्रमांक :- एफ.12 (26)/कम्प्यू/आईएफपीएमएस/10/86-U

दिनांक : 23.08.2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक एफ.12 (26)/कम्प्यू/आईएफपीएमएस/10/80-यू दिनांक 03.08.2022 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

भवदीय



(भूपेश माथुर)

निदेशक

दिनांक :

क्रमांक :- एफ.12 (26)/कम्प्यू/आई.एफ.पी.एम.एस./10/  
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, राज.।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (IFPMS), निदेशालय कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/(मुख्यालय) / (नियम) कार्यालय हाजा।
5. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/अजमेर/कोटा/  
उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. श्री चंचल कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सम्बंध में उचित प्रावधान करावें।
7. श्री योगेश सिंह परमार, तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त ईमेल आई डी पर आने वाली तकनीकी समस्याओं का उचित/समय से निस्तारण करावें।
8. श्रीमती किरण मल्होत्रा, उपनिदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, पेंशन विभाग कार्यालय हाजा।

निदेशक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,  
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005  
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687  
वेबसाईट :- pension.raj.nic.in

क्रमांक :- एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/80-U

दिनांक : 03.08.2022

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष,


पेंशन कुलक के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु विकसित किये गये मॉड्यूल से ही दिनांक 01.07.2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार करने एवं ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किये जाने का प्रावधान विभागीय परिपत्र क्रमांक 1895-H दिनांक 20.06.2022 से किया गया था।

कुछ विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों/कर्मचारियों/विभाग के आई.डी. की सॉफ्टवेयर से मैपिंग में आ रही व्यवहारिक कठिनाई के कारण निम्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को पूर्व की भांति मैनुअली (Manually) रूप से/ऑफलाईन प्रस्तुत करने हेतु शिथिलता प्रदान की जाती है :-

1. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की Employee-ID नहीं है (यथा UIT, खादी बोर्ड, नगर निगम, Board, Corporation आदि)।
2. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के Head of Office अन्य सेवा (यथा केन्द्र सरकार आदि) के अधिकारी हैं एवं इनका Employee-ID/H.O Office ID नहीं बना हुआ है।
3. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों व Head of Office का वेतन PRI-Paymanager से आहरित किया जा रहा है।
4. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए Multiple HO की Marking करनी है। (यथा माननीय न्यायाधीशगणों के प्रकरणों में)

उक्त सभी प्रकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के सहित पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित पेंशन प्रकरण तथा 01.01.2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण पूर्व की भांति अग्रिम आदेशों तक ऑफलाईन ही भिजवाए जायें।

भवदीय



(संजय सोलंकी)

निदेशक

दिनांक :

क्रमांक :- एफ.12 (26)/कम्प्यू./आई.एफ.पी.एम.एस./10/  
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, राज।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (IFPMS), निदेशालय कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/(मुख्यालय) / (नियम) कार्यालय हाजा।
5. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. श्री चंचल कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अतिशीघ्र उक्त बिन्दुओं पर IFPMS में प्रावधान कर अवगत करावें।
7. श्री योगेश सिंह परमार, तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अतिशीघ्र उक्त बिन्दुओं पर IFPMS में प्रावधान कर अवगत करावें।
8. श्रीमती किरण मल्होत्रा, उपनिदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, पेंशन विभाग कार्यालय हाजा।

निदेशक